सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल

डॉ. शंकर दयाल शर्मा

का

अभिभाषण

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का बम्बई में संयुक्त अधिवेशन

२४ मार्च १९८७

माननीय सभापति, माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्यगण,

राज्य विधानमंडल के १९८७ के इस पहले अधिवेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ. महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद संभालने के बाद यह पहला मौका है जब आपको सम्बोधित करने का मुझे अवसर मिला है. मैं महाराष्ट्र की जनता की सेवा में सदैव प्रयत्नशील रहूँगा. इस कार्य में मैं आपके सहयोग की कामना करता हूँ.

२. १९८६-८७ के दौरान महाराष्ट्र राज्य को भयंकर सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा है. पिछले दो वर्षों में अनियमित वर्षा होने के बाद १९८६-८७ में भी सूखा पड़ने के कारण राज्य का एक बड़ा भाग सूखे की चपेट में है. इन अकालपीड़ितों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिये बड़े पैमाने पर राहत-कार्य शुरू किया गया है. जिसके परिणामस्वरूप स्वाभाविकत: राज्य पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा है. इन सबके बावजूद भी सन् १९८७-८८ के लिए २,३२० करोड़ रुपये की राज्य की योजना तैयार की गई है.

३. इस योजना में पिछड़े इलाकों का क्षेत्रीय पिछड़ापन दूर करने के लिए ३०० करोड़ रुपये चुनिंदा क्षेत्रों में खर्च करने का प्रस्ताव है. इस योजना में राज्य की जनता की जरुरतों के आधार पर बनाए गए कार्यक्रमों के लिए भी ६४ करोड़ रुपयों का प्रावधान है.

४. नये २० सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन इस योजना की प्रमुख विशेषता है. इसमें सामाजिक न्याय के साथ-साथ विकास, उत्पादकता रोजगार का निर्माण, गरीबी निर्मूलन तथा आत्मनिर्भरता जैसे मार्गदर्शी सिद्धांतों को विचार में लिया गया है. इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति को बनाए रखने के लिये सभी प्रयास किए जा रहे हैं. इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में, महाराष्ट्र सदैव अग्रणी रहा है.

५. सातवीं पंचवर्षीय योजना का अब तीसरा वर्ष शुरू हो रहा है. इस योजना में प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के लिए क्षेत्रीय और योजनागत कार्यों पर कितनी रकमों का प्रावधान है और सातवीं योजना तथा वार्षिक योजना के प्रत्यक्ष लक्ष्यों की तुलना में कितना कार्य हुआ है इसका जायजा लेने के लिये योजना की मध्यावधि समीक्षा करने का सरकार का इरादा है. ऐसी समीक्षा करने से, उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जा सकेगा और योजनांतर्गत कार्यक्रमों में आवश्यकतानुसार मध्यावधि परिवर्तन एवं सुधार करने की दृष्टि से योजना नीति को नई दिशा मिलेगी.

६. १९८६ के खरीफ मौसम में महाराष्ट्र राज्य के अधिकांश भागों में अनियमित तथा छिट-पुट वर्षा हुई है. फलस्वरूप, खरीफ की फसल को भारी क्षति पहुँची है. २६ जिलों के २१९ तालुका के १८,२६३ गांव बुरी तरह सूखे की चपेट में हैं. करीब २११ लाख लोग और बड़ी मात्रा में मवेशी भी सूखे से प्रभावित हुए हैं. सितम्बर से नवम्बर १९८६ के दरम्यान छिट-फुट वर्षा होने के कारण रबी की फसल की बोआई पर भी बुरा असर पड़ा है. सामान्य तौर पर लगभग ६५ लाख हेक्टर रबी की खेती की तुलना में सिर्फ ५५ लाख हेक्टर क्षेत्र में ही वस्तुतः रबी की खेती की गई है. अपर्याप्त वर्षा के कारण राज्य के अधिकांश भागों में रबी की फसल को भारी क्षति पहुंची है. प्राथमिक अंदाज के आधार पर ५,१४७ गांवों में रबी की फसल पर बुरा असर पड़ा है. इस तरह सन् १९८६-८७ में राज्य के कुल २३,४१० गांव सूखे की चपेट में हैं.

७. सूखे की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, मेरी सरकार ने आदेश दिया है कि पीने के पानी के लिए और चारा पैदा करने के लिए सिंचाई जलाशयों का पानी प्राथमिकता के आधार पर दिया जाये. जिन इलाकों में पैसेवारी की मात्रा ५०/६० या इससे कम है ऐसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सरकारी बकायों की वसूली स्थगित कर दी गई है और मालगुजारी माफ कर दी गई है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर सर्वदलीय समिति गठित की गई है जो कि समय-समय पर सूखे की स्थिति का जायजा लेती रहेगी. इसी तरह जिलों में भी पालक-मंत्रियों की अध्यक्षता में तथा तालुका में आमदारों की अध्यक्षता में सर्वदलीय समितियाँ बनाई गई हैं.

८. इस वर्ष बहुत कम बारिश होने के कारण ग्रीष्मकाल में करीब १६,००० गांवों और १०५ शहरों में पीने के पानी के तीव्र संकट की आशंका है. इस समस्या को हल करने के लिए बृहद् योजना तैयार कर अमल में लाई जा रही है. सूखाग्रस्त भागों में मवेशियों को पर्याप्त चारा उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र राज्य कृषि निगम तथा कृषि विश्वविद्यालय के फार्मों और तालुका के बीज फार्मों में चारा उगाने और चारे की आपूर्ति करने का कार्यक्रम

बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है. मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त किन्तु पशुओं के लिए उपयुक्त खाद्यान्न भी चारे के रूप में दिये जा रहे हैं. इसके अलावा आदिवासी विकास निगम और वन विभाग भी सूखाग्रस्त भागों में मवेशियों को चारा उपलब्ध करा रहे हैं. चारा उगाने के लिए प्रत्येक किसान को ४० आर तक खेतों की सिंचाई का पानी मुफ्त दिया जा रहा है. जरूरतमंद किसानों को प्रति मवेशी ४०० रुपये तक लेकिन कुल मिलाकर २००० रूपये तक तगाई कर्ज भी दिया जा रहा है. सरकार ने फैसला किया है कि छोटे और बहुत ही छोटे किसानों को ५० प्रतिशत कर्ज सहायता अनुदान के रूप में दिया जायेगा.

९. सूखाग्रस्त इलाकों में आवश्यकतानुसार मवेशी छावनियां खोली गयी हैं. शक्कर कारखाने और स्वयंसेवी संस्थाओं ने अनेक भागों में मवेशी छावनियां खोलने का दायित्व उठाया है. ऐसी छावनियों में हर मवेशी पर सरकार प्रतिमाह १०० रुपये चारे के लिए आर्थिक सहायता दे रही है.

१०. अकालग्रस्त इलाकों में आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों तथा भूमिहीन मजदूरों तथा छोटे किसानों के बच्चों के लिए १९८५-८६ में विश्वविद्यालय परीक्षा अथवा बोर्ड की परीक्षा का शुल्क माफ कर दिया गया था तथा यह खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष में से किया गया था. इसमें कुल मिलाकर लगभग ९६ लाख रुपये खर्च हुआ था और करीब १.५० लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला था. सन १९८६-८७ में भी यह सहूलियत जारी रखी गई. लेकिन अब उन छोटे किसानों के बच्चों को भी यह सहूलियत दी जा रही है जिनके पास २ हेक्टर के बजाय ४ हेक्टर तक असिंचित जमीन है. इस वर्ष इस पर लगभग ३ करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है.

११. देहातों में लोगों को पर्याप्त पीने का पानी मुहैया करने के लिए मेरी सरकार वचनबद्ध है. छठीं योजना के दौरान ५४ प्रतिशत ग्रामीण जनता को इस कार्यक्रम का लाभ पहुँचा है. सातवीं योजना के दौरान इसमें और २०,००० गाँव शामिल करने का प्रस्ताव है. सातवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में अनुमान है कि ८,२२४ गाँवों में यह कार्यक्रम लागू करने के लिए २५० करोड़ रुपये खर्च होंगे. चालू वित्तीय वर्ष में ३१ जनवरी १९८७ तक ३,१५८ गाँव इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए हैं. १९८७-८८ में इस कार्यक्रम के तहत ३,९५० गाँव शामिल करने का प्रस्ताव है. बोर कुओं की खुदाई में अधिक से अधिक सफलता हासिल हो इस मकसद से आधुनिक तकनीक एवं दूर से ही पानी का पता लगाने वाले यंत्र और उपग्रह द्वारा खींची गई तस्वीर का उपयोग किया जाता है. सरकार ने जिला परिषदों को यह आदेश दिया है कि वे जल-आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का उपयोग एवं रखरखाव करने के लिए "रखरखाव निधि" स्थापित करें. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के योजनागत व्यय के ५ प्रतिशत के बराबर रकम इस निधि में अंशदान करने का सरकार का इरादा है. तदनुसार इस वित्तीय वर्ष में जिला परिषदों को ४ करोड़ रुपये का

सरकारी अंशदान मंजूर किया गया है. भरपूर पानीवाले ऐसे करीब ७,००० बोर कुओं में बिजली के पंप बिठाने का व्यापक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है. इस प्रकार फरवरी १९८७ के अन्त तक ४,२९८ बिजली के पंप बिठाये जा चुके हैं. इससे ग्रामीणों को भारी तादाद में लाभ मिलेगा.

१२. रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लगभग १७ करोड़ श्रमदिन का रोजगार खोलने के लिए अंदाजन २२२ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. सिंचाई, वनरोपण, नाला बंडिंग आदि जैसे उत्पादनशील कार्यों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है. जहां ऐसे कार्य नहीं हैं, वहां सड़कों के निर्माण का कार्य हाथ में लेने की अनुमति दी गई है. इस समय करीब ११ लाख की रोजगार क्षमता वाले ११,२५० निर्माण कार्य किये जा रहे हैं जिसमें प्रत्यक्षतः ८.०२ लाख मजदूर काम कर रहे हैं. इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत इस वित्तीय वर्ष में ७६.६५ करोड़ रुपये की लागत से करीब ४.६० करोड़ श्रमदिन रोजगार पैदा किये गए हैं.

१३. मेरी सरकार राज्य में सिंचाई के विकास को प्राथमिकता दे रही है. जून १९८६ तक राज्यगत परियोजनाओं के जरिये इस राज्य में कुल सिंचाई की क्षमता २३.३३ लाख हेक्टर थी. उम्मीद है कि जून १९८७ तक इसमें ०.६० लाख हेक्टर तक और वृद्धि होगी. स्थानीय क्षेत्रों में भी जून १९८६ तक कुल ३ लाख हेक्टर तक सिंचाई की क्षमता तैयार की गई थी तथा उम्मीद है कि जून १९८७ तक इसमें ०.१२ लाख हेक्टर तक और वृद्धि होगी.

१४. बार बार उत्पन्न होनेवाले अकाल के संकट से उबरने के लिए दीर्घकालीन योजनायें तैयार करने और सूखे से उत्पन्न दुष्परिणामों की प्रखरता कम करने की दिशा में विचार करना आवश्यक है. इसलिये सरकार ने फैसला किया है कि जिन इलाकों में पानी का अभाव है ऐसी जगहों पर आठमाही जलपूर्ति करनेवाली सिंचाई परियोजनायें बनाई जायें.

१५. सन् १९८७-८८ की वार्षिक योजना में अनुसूचित जातियों तथा नवबुद्धों के कल्याण के लिये खास घटक योजना का समावेश है. इस योजना के अंतर्गत लगभग ८९,००० परिवारों की मदद के लिये करीब ६४ करोड़ रुपये की लागत का प्रस्ताव रखा गया है.

१६. सन् १९८७-८८ में आदिवासी उपयोजना की लागत १४५.४८ करोड़ रुपये निर्धारित की गयी है जो कि चालू वर्ष की लागत से २८ प्रतिशत अधिक है. महाराष्ट्र की ५५ प्रतिशत आदिवासी जनता आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के बाहर रहती है. उनके लिए भी व्यक्तिगत लाभ की योजना लागू की जा रही है. आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा शैक्षणिक सुविधायें उपलब्ध हों इस मकसद से सरकार ने नीतिविषयक निर्णय लिया है कि स्वैच्छिक

संस्थाओं को आश्रमशाला खोलने की अनुमति दी जाये. इसके अलावा चालू साल में वर्तमान १८ विकास खंडों (माडा) के अलावा और १३ खंड तथा १४ नये लघु खंड (मिनी माडा) बनाए गये हैं. इससे कुल १,२५४ गांव और ३.३३ लाख आदिवासी इस योजना के अंतर्गत शरीक हो गये हैं.

१७. जहां तक ऊर्जा क्षेत्र का संबंध है इस वर्ष भी राज्य में ऊर्जा की स्थिति समाधान-जनक रही है. वस्तुत: राज्य में बड़े पैमाने पर बिजली की पैदाईश होने के कारण जब ज्यादा बिजली उपलब्ध होती है तो हम उसे पड़ोसी राज्यों को भी देते हैं. राज्य में प्रतिदिन औसतन ८.५० करोड़ युनिट बिजली की पैदाईश होती है. बिजली पैदाईश की यह मात्रा अबतक का सबसे अधिक रेकार्ड है. सन १९९५ तक हमे लगभग ९,५०० मेगावाट ऊर्जा की जरूरत होगी. यह जरूरत पूरी करने के लिये सरकार ने कुल ६,६१४ मेगावाट क्षमता की ८ नयी बिजली परियोजनाओं का प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया है. इस प्रस्ताव की मंजूरी के लिए पहल की जा रही है.

१८. सन् १९६० में राज्य के कुल ८५३ गांवों में बिजली पहुंची थी और सन् १९८६ के अन्त तक उनकी संख्या बढ़कर ३३,९६३ तक पहुंच गई थी. उम्मीद है कि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर ३४,५०० से अधिक हो जायेगी. शत प्रतिशत गांवों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पुरा होने का वह शुभदिन अब हमें शीघ्र ही देखने को मिलेगा. सन् १९६० में बिजलीवाले खेती के पंपों की संख्या ६,६९५ थी. किंतु १९८६ के आखीर तक यह तादाद बढ़कर १० लाख से भी अधिक हो गयी है. खेती के ६०,००० पंपों को बिजली आपूर्ति करने के लक्ष्य के मुकाबले इस वर्ष ८५,००० से अधिक पंपों को बिजली की आपूर्ति की गयी है. इस तरह राज्य में चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक लगभग ११ लाख और पंपों को बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी.

१९. सन् १९६० में कुल १,०७,८३६ उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति का लाभ हुआ था और उसकी तुलना में आज प्रतिदिन ५० लाख से भी अधिक उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की जा रही है. सन् १९८० तक सिर्फ ३६ हरिजन और आदिवासी परिवारों को घरेलू उपयोग के लिए नि:शुल्क बिजली के कनेक्शन दिये गये थे जब कि १९८६ के अंत तक ऐसे ४,१२,००० परिवारों को नि:शुल्क घरेलू कनेक्शन दिये गये हैं. इस साल घरेलू उपयोग के लिए पिछड़े वर्ग के परिवारों को ३८,००० से अधिक नि:शुल्क कनेक्शन देने की वजह से कुल ४,५०,००० पिछड़े वर्गों के परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा.

२०. मुझे यह बताते हुये खुशी हो रही है कि पवनशक्ति की मदद से विद्युत निर्माण में महाराष्ट्र राज्य अग्रणी रहा है. पवनशक्ति से विद्युत निर्माण के पहले चरण में सिंधुदुर्ग

जिले के देवगड़ में स्थापित पवन प्रक्षेत्र में ५५० किलोवाट क्षमता की कुल १० पवनचक्कियों का कार्य शुरू किया गया है तथा उसके विस्तार का कार्य चल रहा है. इसके अलावा कुछ और पवन प्रक्षेत्र स्थापित करने के मकसद से संभाव्य विद्युत शक्ति का अनुमान लगाने के लिए ८ संनियंत्रण केंद्रों की स्थापना की गयी है.

२१. महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी ने गैर-पारम्परिक और नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों के जरिये गांवों में ऊर्जा मुहैया करने का कार्यक्रम हाथ में लिया है. इस कार्यक्रम के तहत १९८६–८७ के दौरान १२ जिलों के २० ऊर्जा ग्रामों में यह कार्यक्रम हाथ में लिया गया है. १९८७-८८ के दौरान इस योजना में और भी गांव शरीक किये जायेंगे.

२२. मुझे यह बताते हुये खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र राज्य पिछले तीन वर्षों से बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के कार्यान्वयन में सतत आगे रहा है. केंद्र सरकार ने इस वर्ष ४०,००० बायोगैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. यह लक्ष्य अवश्य ही पूरा कर लिया जायेगा. १९८२–८३ से फरवरी १९८७ के दरम्यान जिला परिषदों के जरिये लगभग १.६६ लाख बायोगैस संयंत्र लगाये गये हैं. जो कि पूरे देश में रेकार्ड कहा जा सकता है.

२३. सन १९८७ को "बेघर के लिए घर आंतर्राष्ट्रीय वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है. राज्य सरकार की कोशिश सिर्फ सातवीं योजना के लक्ष्य को ही पूरा करना नहीं है बल्कि सरकार की यह भी कोशिश रहेगी कि सार्वजनिक और सहकारी संस्थाओं तथा विविध उपायों द्वारा गृहनिर्माण को बढ़ावा दिया जाये. बीड़ी मजदूरों, विकलांगों, हाथ करघा बुनकर, निर्माण कार्यों के मजदूरों जैसे कमजोर वर्गों के लोगों के लिए विशेष आवास योजना शुरू की जा रही है. बम्बई भाटक होटल तथा आवासगृह दर नियंत्रण अधिनियम में बहुत दिनों से विचाराधीन ऐसे प्रगतिशील संशोधन हेतु एक विधेयक पिछले अधिवेशन में पेश किया गया था और अब वह आपके सामने विचारार्थ लाया जा रहा है. शहरी भूमि अधिकतम मर्यादा अधिनियम के तहत कुछ योजनाओं के संबंध में अदालत में मुकदमे दायर होने के कारण गृहनिर्माण की गति रुक गयी थी. इसलिए कानूनी उद्देश्य हासिल करने की दृष्टि से सरकार ने आवास निर्माण योजना की समीक्षा की है. संशोधित योजना के अनुसार उपलब्ध अधिक जमीनों में से ७० प्रतिशत जमीन कम आमदनीवाले और कमजोर वर्ग के ऐसे लोगों को गृहनिर्माण के लिए दी जायेगी जिनकी सालाना आमदनी १५,००० रुपयों से कम है.

२४. जिन लोगों को अन्यत्र किसी भी जरिये से सहायता नहीं मिलती है ऐसे लोगों को संजय गांधी स्वावलंबन योजना के तहत मदद दी जाती है. अब इस योजना की समीक्षा की गयी है और जरुरतमंद लोगों के हित को सामने रखकर इस योजना की कार्यप्रणाली को और अधिक सुचारु बनाया गया है.

२५. सातवीं योजनाकाल में जल-आपूर्ति तथा स्वच्छता संबंधी योजनाओं के लिए ९८३ करोड़ रुपये की लागत मंजूर की गई थी. १९८६-८७ साल में चालू योजनाओं की संख्या १०१ है. लोगों की ओर से १० प्रतिशत अंशदान की शर्त के अधीन इस साल अमरावती (५५ करोड़ रुपये), धुळे (४० करोड़ रुपये), अहमदनगर (२५ करोड़ रुपये) तथा औरंगाबाद (१८ करोड़ रुपये) के लिए बड़ी योजनाए मंजूर की गई हैं. बम्बई नगर निगम ने विश्व बैंक की सहायता से बम्बई जल-आपूर्ति तथा मलनिस्सारण परियोजना के दूसरे तथा तीसरे चरण का काम अपने हाथ में लिया है. अंदाजन ६३० करोड़ रुपये लागत के दूसरे चरण का काम १९८७ के आखिर में पूरा हो जायेगा. इस परियोजना के तीसरे चरण की अनुमानित लागत ४३४ करोड़ रुपये है जिसमें से विश्व बैंक लगभग २३१ करोड़ रुपये की सहायता देने को राजी हुआ है. उम्मीद है कि १९८७-८८ में तीसरे चरण का काम शुरू हो जायेगा. यह चरण पूरा हो जाने पर प्रति दिन ४५ करोड़ ५० लाख लिटर ज्यादा पानी मुहैया किया जा सकेगा. दूसरे चरण में जल-आपूर्ति तथा स्वच्छता संबंधी सहूलतें बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र जल-आपूर्ति तथा मलनिस्सारण परियोजना तैयार कर ली गई है और अब उसे विश्व बैंक को प्रस्तुत किया जायेगा.

२६. मानखुर्द-बेलापुर रेलवे परियोजना की लागत का ६७ फीसदी खर्च मेरी सरकार बर्दाश्त करने के लिए राजी है. इस परियोजना की लागत १२० करोड़ रुपये है. रेलवे मंत्रालय ने २७ करोड़ रुपये की लागत के थाना खाड़ी-पुल के निर्माण का ठेका दिया है और १९९०-९१ में इस परियोजना का काम पूरा होने की संभावना है.

२७. मेरी सरकार केंद्र सरकार से कपास एकाधिकार खरीद योजना जारी रखने की मंजूरी पाने में कामयाब हो गई है. इस साल कपास की कम पैदावार और राज्य की अकाल स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कपास उत्पादकों को कपास के गारंटी मूल्य की शत प्रतिशत रकम दी जायेगी. मेरी सरकार ने भारत सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि उसे पर्याप्त मात्रा में निर्यात कोटा दिया जाये. भारत सरकार ने अभी तक १.२० लाख गांठ कपास निर्यात करने की अनुमति दी है.

२८. भारत सरकार की हाल में घोषित शक्कर संबंधी नीति में महाराष्ट्र के उदग्रहण क्षेत्र का उप विभाजन करने की लंबे अर्से की मांग को स्वीकार किया गया है. इससे मराठवाडा,

विदर्भ तथा खानदेश के पिछड़े क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को उचित मेहनताना मिल सकेगा. भारत सरकार की शर्त है कि नये शक्कर कारखानों में प्रति दिन पेराई की क्षमता कम से कम २,५०० टन होनी चाहिए. इस शर्त के कारण राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में शक्कर कारखाने खोलने में रुकावट पैदा होगी क्योंकि उस पर लगनेवाली पूंजी उनकी हैसियत से बाहर है. मेरी सरकार ने भारत सरकार का इस ओर ध्यान दिलाया है. मेरी सरकार ने मराठवाडा तथा विदर्भ क्षेत्रों में नये शक्कर कारखानों को प्रोत्साहन देने के लिए सदस्यों का पूंजीगत अंशदान का हिस्सा तथा सरकार के पूंजीगत अंशदान के हिस्से का अनुपात १ : ३ से बढ़ाकर १ : ५ तक करने का फैसला किया है. इस फैसले के परिणामस्वरुप पांच नये शक्कर कारखानों में उत्पादन शुरु हुआ है और बाकी चार नये कारखानों में भी संतोषजनक प्रगति हुई है.

२९. २० सूत्री कार्यक्रम में खाद्य तेल के उत्पादन को अहमियत दी गई है. इसे ध्यान में रखकर महाराष्ट्र राज्य सहकारी तेलहन उत्पादक निगम की मार्फत राष्ट्रीय दुग्धशाला विकास निगम के सहयोग से धुळे में एक तेल मिल खोली जा रही है. इस तेल मिल की पेराई क्षमता प्रति दिन लगभग २५० मेट्रिक टन होगी.

३०. महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बहु-अध्यापकीय प्राथमिक शालाओं में पहली कक्षा तथा एक अध्यापकीय प्राथमिक शाला में १ से ४ थी कक्षा के विद्यार्थियों के बेहतर पोषण तथा सेहत की दृष्टि से उनके लिए पूरक पोषण आहार की व्यवस्था करना शाला आहार कार्यक्रम का उद्देश्य है. जहां प्राथमिक सहकारी दुग्ध संस्थाएं मौजूद हैं ऐसी जगहों में हर एक विद्यार्थी को पाठशाला के दिन १५० मि. लि. दूध बांटा जाता है. १९८५-८६ में ऐसे करीब ५.३३ लाख विद्यार्थियों को लगभग ९७ लाख लिटर दूध बांटा गया था. १९८६–८७ में भी यह मात्रा बनी रहेगी. इसके अलावा दिसम्बर १९८६ से फरवरी १९८७ के दरम्यान जब दूध की पैदाईश खूब ज्यादा थी उस समय २ री से ४ थी कक्षा तक के बच्चों को भी दूध दिया गया था. इस कार्यक्रम के तहत लगभग ६.६० लाख और विद्यार्थियों को ४२ लाख लिटर दूध बांटा गया है. इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित वर्तमान पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय लगभग ७.५० लाख बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण का फायदा मिल रहा है. इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने नवम्बर १९८६ से अब "गेहूं आधारित पूरक पोषण" आहार शुरु किया है और इससे लगभग ६.२८ लाख और बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को फायदा मिलेगा.

३१. १९८५ के खरीफ मौसम से व्यापक फसल बीमा योजना शुरु की गई है. इस योजना के तहत धान, ज्वार, बाजरा, मुंगफली और अरहर की खरीफ फसलें तथा गेहूं, ज्वार, चना और तेहलन (सूर्यमुखी, तिल, अलसी) की रबी फसलें शामिल की गई हैं.

इस योजना में कपास और फलों की फसलों को भी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है. १९८७-८८ में भी यह योजना जारी रहेगी.

३२. सरकार सभी ओहदों के पुलिस कर्मियों की भलाई के लिए सदैव विचार करती रही है और आज तक सरकार ने उन्हें और उनके परिवार के लिए अनेक रियायतें दी हैं. पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों को कानून और व्यवस्था बनाये रखने के दौरान कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है. इन बातों को मद्देनजर रखते हुए, मुठभेड़ की घटना में जिन सिपाहियों की मृत्यु हुई है उनके परिवार के लिए सरकार ने वर्तमान परिवार पेंशन योजना और व्यापक बनाने का फैसला किया है. मुठभेड़ में मारे गये पुलिस कर्मियों की विधवाओं या नामित व्यक्तियों को अब इसके बाद से उस सिपाही की मृत्यु के समय उसके आखिरी वेतन के बराबर विशेष परिवार पेंशन दी जायेगी. पुलिस अधिकारी या सिपाही की यदि घटना में मृत्यु नहीं हुई होती तो जिस तारीख तक वह अपनी पूरी सेवा के बाद निवृत्त होता उस तारीख तक उसके परिवार को विशेष परिवार पेंशन मिलती रहेगी.

३३. फिल्म उद्योग ने सरकार से अनुरोध किया था कि इस उद्योग का अस्तित्व कायम रखने के लिये सरकार उसकी मदद करे. अनुरोध में अन्य सहूलतों के साथ ही मनोरंजन कर कम करने और अधिभार हटाने की मांग की गई थी. यह भी अनुरोध किया गया था कि सिनेमा गृहों पर एकत्रित कर प्रणाली शुरू की जाये. इन मांगों पर हर पहलू से विचार करने के बाद सरकार इस बात से सहमत हुई है कि वह प्रवेश दर के आधार पर मनोरंजन कर उदग्रहीत करेगी और मनोरंजन शुल्क पर से अधिभार की वसूली समाप्त कर देगी. सिनेमागृह पर एकत्रित कर उदग्रहण की प्रणाली स्वीकार कर ली गई है. इस प्रकार फिल्मोद्योग को करीबन १८.७८ करोड़ रुपयों की छूट दी गई है. उम्मीद है कि फिल्मोद्योग इसका लाभ दर्शकों तक अवश्य पहुंचायेगा.

३४. महाराष्ट्र में औद्योगिक संबंध निरंतर सुधार पर है. १९८५ में काम बंद पड़ने के कारण ८५ लाख श्रम दिन का नुकसान हुआ था और उसकी तुलना में सन १९८६ में ५३ लाख श्रम दिन का नुकसान हुआ है, जो कि उसके पहले के साल के मुकाबले करीबन ३८ प्रतिशत कम है. सरकार ने अपेक्षाकृत असंगठित क्षेत्रों के ऐसे ६९ रोजगारों को भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रावधान लागू कर दिया है जहां कि तकरीबन १०० लाख मजदूर काम करते हैं. मजदूरों के हित तथा बड़ी मात्रा में सार्वजनिक हित की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इम्प्रेस मिल्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया है. सरकार ने जलगांव स्थित खानदेश मिल्स तथा बम्बई स्थित श्रीराम मिल्स का भी राष्ट्रीयकरण करने का सिद्धांततः फैसला कर लिया है. वित्त पोषक संस्थाओं और बैंकों के परामर्श से टेक्सकॉम को फिर से चालू करने के लिए भारत सरकार की नीति के अनुरुप कार्यक्रम तैयार किया जा

रहा है. मेरी सरकार ने राज्य के इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की तरक्की के लिए कई उपाय शुरू किये हैं. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर विक्रय कर ४ प्रतिशत तक कम कर दिया गया है तथा महाराष्ट्र में निर्मित इलेक्ट्रानिक घटकों, पुर्जों और उपकरणों पर विक्रय कर २ प्रतिशत तक कम कर दिया गया है. भोसरी (पुणे), चिखल ठाणा (औरंगाबाद) तथा हिंगना (नागपुर) में इलेक्ट्रानिक की ३ औद्योगिक बस्तियां बनाई गई हैं. उसके अलावा राज्य में सातवीं योजना काल में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए एक यथार्थदर्शी योजना तैयार की गई है. इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार तथा मराठवाडा विश्वविद्यालय के सहयोग से औरंगाबाद में इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और तकनीकी केंद्र की स्थापना की गयी है. इस केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक्स का आधुनिक प्रशिक्षण दिया जायेगा.

३५. हाल ही में संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, १९८६ बनाया है. इस अधिनियम में उपभोक्ता संरक्षण परिषद तथा उपभोक्ताओं के विवाद के निपटारे के लिये मंच की स्थापना का प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर पहले से ही एक उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया है. इस परिषद को अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, १९८६ के प्रावधानों के अनुसार पुनर्गठित किया जायेगा. उपभोक्ता के अधिकार की सुरक्षा के लिये उसे कानूनी अधिकार भी दिये जायेंगे. उपभोक्ताओं के विवाद सुलझाने के लिये राज्य और जिला स्तर पर एजेंसियां स्थापित करने का सरकार का इरादा है.

३६. विवाह और पारिवारिक मसलों से संबंधित झगड़ों का परस्पर समझौते से निपटारा करवाने और इन मसलों का शीघ्र हल निकालने की दृष्टि से परिवार न्यायालय अधिनियम, १९८४ में परिवार न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है. सरकार ने बम्बई में ऐसे दो न्यायालय और पुणे तथा नागपुर में एक-एक न्यायालय स्थापित करने का फैसला किया है. इसी प्रकार का एक न्यायालय औरंगाबाद में शुरू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है. परिवार न्यायालयों की स्थापना करने से महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने में मदद होगी.

३७. केंद्र सरकार ने मई १९८६ में शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिये अगस्त १९८६ में एक "क्रियात्मक कार्यक्रम" तैयार किया है. राज्य सरकार चुनिंदा कार्यक्रमों के जरिये शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन की प्राथमिक कार्यवाही कर चुकी है. इन चुनिंदा कार्यक्रमों में शिक्षकों को सेवांतर्गत प्रशिक्षण देने की राष्ट्रीय योजना, नवोदय विद्यालय खोलने और कार्यात्मक साक्षरता के कार्यक्रम शामिल हैं. पूरे राज्य में मई १९८६ में लगभग ५०,००० शिक्षकों को प्रशिक्षण योजना के बारे में जागरूक किया गया. सातवीं योजना के अंत तक केंद्र सरकार की ओर से माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक जिले में आदर्श विद्यालय के रूप में एक-एक नवोदय विद्यालय

खोले जायेंगे. अबतक ऐसे सात नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं. इसके अलावा महाविद्यालयों के छात्रों की मदद से ५२,००० निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षरता प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है. नई शिक्षा नीति के मुताबिक १९९५ तक प्राथमिक शिक्षा का सार्वत्रीकरण करने के लिये "ऑपरेशन ब्लॅक बोर्ड" नामक कार्यक्रम तैयार किया गया है और उपलब्ध निधि के अनुसार राज्य में इसे लागू किया जायेगा.

३८. जिन सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का प्रबन्ध जिला परिषदों के हाथ में दिया गया है ऐसे विद्यालय उपकरण एवं ग्रंथालय की पुस्तकें आदि खरीदने हेतु १२ फीसदी वेतनेतर अनुदान पाने के लिए पात्र होते हुए भी, जिला परिषदें उनका प्राथमिक खर्च पूरा करने में असमर्थ रही हैं. इसलिये सरकार ने इस साल जिला परिषदों को कुल १.१३ करोड़ रुपये का अग्रिम अनुदान दिया है.

३९. नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षा का स्तर बनाये रखने एवं अनेक सबल कारणों से तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के वाणिज्यिकरण पर रोक लगायी जायेगी. शिक्षा संस्थाओं मे प्रवेश या कक्षोन्नति के लिये कॅपिटेशन फीस की वसूली पर प्रतिबंध डालने के लिये विधेयक पेश करने का राज्य सरकार का इरादा है.

४०. परिवार कल्याण कार्यक्रम में सरकार ने सराहनीय कार्य किया है. संरक्षित व जननक्षम दंपत्तियों की बाबत ३५ फीसदी राष्ट्रीय लक्ष्य की तुलना में राज्य सरकार ने ५२.५ फीसदी जननक्षम दंपत्तियों को संरक्षण प्रदान किया है. राज्य के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से सार्वत्रिक रोकथाम टीका कार्यक्रम लागू किया जायेगा. १९८१ की जनगणना के आधार पर १,५३९ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ९,६५० उपकेंद्र स्थापित करने की जरूरत है. इसमें से महाराष्ट्र राज्य में १,५३९ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ८,०३८ उपकेंद्र पहले ही खोले जा चुके हैं. बाकी उपकेंद्र चरणबद्ध तरीके से खोले जायेंगे.

४१. महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्र में भाषा की समस्या सुलझाने के लिये महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों की ११ जून १९८६ को बंगलोर में और २९ सितम्बर १९८६ को बम्बई मे चर्चा हुई थी. इन बैठकों में दोनों मुख्य मंत्री इस बात से सहमत हुए थे कि सीमा के दोनों तरफ स्थित भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या का सहानुभूतिपूर्वक एवं सूझबूझ के साथ हल निकाला जाना चाहिये और सीमावर्ती क्षेत्रों मे विकास संबंधी कार्यक्रम आत्मीयता एवं पारस्परिक मेलजोल की भावना से अमल मे लाये जाने चाहिये. मेरी सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित कन्नड माध्यम के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आठवीं कक्षा तक मराठी विषय अनिवार्य न करने की नीति अपनाई है. महाराष्ट्र सरकार ने यह कदम एक तरफा उठाया था और माननीय सदस्यों को मालूम ही होगा कि इस बारे में

विधानमंडल को अवगत कराया गया था. दोनों मुख्य मंत्रियों ने सीमावर्ती इलाकों के व्यापक और बुनियादी भावी मसलों पर भी चर्चा की थी और उम्मीद है कि जिस माहौल एवं मनोभाव से यह बातचीत हुई है उससे अवश्य ही अब ऐसा हल निकलने में आसानी होगी जो दोनों पक्षों को मान्य होगा.

४२. सांप्रदायिकता भड़काने अथवा राष्ट्रीय एकता खतरे मे डालने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने और सांप्रदायिक मेलजोल बढ़ाने के लिए मेरी सरकार कटिबद्ध है.

४३. मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहूँगा कि महाराष्ट्र राज्य इस समय सूखे की कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है. अतएव समाज का हरएक तबका, सभी राजनीतिक दल और राज्य की विभिन्न संस्थाएँ जब एक होकर सामूहिक प्रयास करेंगी तभी इस अकाल-स्थिति का कारगर और संतोषप्रद ढंग से मुकाबला हो सकेगा तथा अकाल पीड़ित जनता को दिलासा और तत्काल राहत दी जा सकेगी. मुझे हार्दिक खुशी है कि इस परिस्थिति का सामना करने के लिये सरकार को समाज के सभी तबकों एवं राजनीतिक दलों का पूरा सहयोग मिल रहा है और इसी प्रकार भविष्य में भी मिलता रहेगा.

४४. माननीय सदस्यगण, इस अधिवेशन में आपके विचार-विमर्श के लिए अनुपूरक मांगे, लेखानुदान, बजट, अध्यादेशों का अधिनियम में रूपांतर करने हेतु कुछ विधेयक और प्रलंबित तथा तत्काल स्वरुप के अन्य नये विधेयक आपके सामने पेश किये जायेंगे और इसके साथ ही अन्य दूसरे तत्काल स्वरूप के सरकारी व गैर सरकारी कामकाज पर भी आपको विचार-विमर्श करना है.

४५. मैं कुछ महत्त्वपूर्ण विधेयकों का यहां उल्लेख करना चाहता हूँ जो इस अधिवेशन में विचार-विमर्श के लिए पेश किये जायेंगे :—

(१) १९८६ का विधानसभा विधेयक क्रमांक ७९, मुंबई भाटक, होटल तथा आवास गृह दर नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९८६.

(२) सन् १९८६ का विधान परिषद विधेयक क्रमांक ३२, महाराष्ट्र परियोजनाओं से क्षतिग्रस्त व्यक्तियों का पुनर्वसन विधेयक, १९८६.

(३) १९८७ का विधानसभा विधेयक क्रमांक १, महाराष्ट्र माल का किसी प्रयोजनार्थ उपयोग करने के अधिकार के अंतरण पर विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १९८७.

(४) १९८७ का विधानसभा विधेयक क्रमांक २, मुंबई मोटर वाहन कर (संशोधन) विधेयक, १९८७.

(५) १९८७ का विधानसभा विधेयक क्रमांक ३, मुंबई मनोरंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९८७.

(६) १९८७ का विधानसभा विधेयक क्रमांक ४, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (राज्य में सूखे की स्थिति के कारण कतिपय निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन) विधेयक, १९८७.

(७) महाराष्ट्र कृषिक उपज विपणन (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९८७.

(८) महाराष्ट्र विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९८७.

(९) महाराष्ट्र (अनुपूरक) विनियोग विधेयक, १९८७.

(१०) महाराष्ट्र वृक्ष गिराना (संशोधन) विधेयक, १९८७.

मैं आपके कामकाज में यश की कामना करता हूँ.

जयहिंद.

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई